शालिग्राम की निकली बारात, तुलसी से हुआ विवाह

देव उठनी ग्यारस पर मंडीदीप नगर में हुए कई कार्यक्रम

मंडीदीप, 1 नवंबर. देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर नगर में जगह-जगह भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ.

विभिन्न कॉलोनियों मंदिरों और घरों में गन्ने के मंडप सजाए गए और शुभ मुहूर्त में विवाह की रस्में निभाई गईं. प्रमुख मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक तुलसी विवाह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए कुछ स्थानों पर भगवान की बारात निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रही. महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर मंगल गीत गाए और हल्दी, मेहंदी की रस्मों में भाग लिया. एक और जहां खाटू नरेश की निशान यात्रा निकाल कर जन्मदिन मनाया कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर नगर के स्टेशन रोड, सतलापुर जोड़, ब्रिज के नीचे से होते हुए इंडस रियल्टी में बाबा श्याम के मंदिर में निशान यात्रा का समापन किया गया इसके पूर्व बाबा को सुबह इत्र वर्षा, छप्पन भोग, समेत बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया. वही दूसरी ओर नगर में शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह किया गया नगर की माताएं एवं बहनों ने देव उठो सावरे, बेर भाजी आवले का गायन कर विष्णु भगवान को उनकी निंद्रा से जगाया.

सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी अवैध : हाईकोर्ट

जबलपुर, 1 नवंबर. हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी को अवैध करार दिया.

इसी के साथ जिला पेंशन अधिकारी सागर को निर्देश दिया कि छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाई जाए। याचिकाकर्ता दमोह निवासी जयनारायण मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित कुमार चौधरी व रूपलाल चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दमोह से ड्राइवर के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। एक वर्ष उपरांत जिला पेंशन अधिकारी ने 47 हजार 554 रुपये की रिकवरी निकाल दी। इसके विरोध में अभ्यावेदन का असर नहीं हुआ। इसलिए हाईकोर्ट आना पड़ा।

प्राचार्य को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने शासकीय कॉलेज की प्राचार्य को वरिष्ठ स्केल व चतुर्थ पे-बैंड का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को 60 दिन में इस संबंध में निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने पक्ष रखा.

The court Of III District and Additional Session Judge, Biaora, District Rajgarh M.P. Presidingh Officer हेमंत सिंह

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCA/0000019/2025)

अंकित दांगी..... वादी VS

सर्वसाधारण व अन्य....प्रतिवादी

Proces Id–/2025 पेशी दिनांक 22/11/2025

प्रेषिती–

(1) सर्वसाधारण व अन्य

यह कि अपीलार्थी अंकित दांगी ने आपके विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के अधीन वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें.

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें.

यह आज तारीख 30 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है.

हेमंतसिंह
तृतीय जिला न्यायाधीश ब्यावरा
जिला राजगढ़ म.प्र.

महिला सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

मंडीदीप, 1 नवंबर. शहर में शनिवार को रायसेन पुलिस के सतलापुर और मंडीदीप पुलिस के द्वारा सयुक्त रूप से महिला और किशोरी सुरक्षा को लेकर मंगल बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया.

जिसमें कलाकारों द्वारा महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान को लेकर आम जन को जागरूक किया और लोगों को महिलाओं के साथ घटित हो रहे अपराधों को लेकर जानकारी दी गई. इसमें मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, नशे से दूरी, यातायात नियमों का पालन समेत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए नुक्कड़ नाटक के कलाकारों के द्वारा इसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से से जिला के कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे, एस.डी.ओ.पी शीला सुराणा, सतलापुर थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी, मंडीदीप प्रभारी रंजीत सराठे नगर के आम जन उपस्थित रहे.

34 वन अधिकारी- कर्मचारी पुरस्कृत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 नवंबर. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही.एन. अम्बाड़े ने शनिवार एक नवम्बर को कमेंडेशन डिस्क अलंकरण समारोह में वन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 34 वन अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया.

वन कार्य क्षेत्र में वन सुरक्षा, कूप विदोहन, वानिकी कार्य, वृक्षारोपण, अतिक्रमण, वन्यप्राणी सुरक्षा जैसे अन्य सराहनीय कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया. वन क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सम्मानित किये गये वन अधिकारी-कर्मचारियों में सामाजिक वानिकी क्षेत्र में बालाघाट वनमंडल के वन संरक्षक सचिन पदमे एवं अमोल गौतम, कार्यवाहक वनपाल रामशरण सिंह, भोपाल वन मंडल के वनरक्षक रणछोर दास अग्निहोत्री एवं अनिल कुमार गव्हाडे, छतरपुर वन मंडल के कार्यवाहल वनक्षेत्रपाल बुद्धसेन कोल, दक्षिण पन्ना वन मंडल के वनरक्षक प्रेमनारायण वर्मा और चन्द्रप्रकाश शर्मा, हरदा वन मंडल के वनरक्षक मनोज सिंह चौहान, रोहित कुमार गौर, रामेन्द्र सिंह वर्मा एवं वनपाल मोहम्मद शरीफ खान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वनरक्षक मनोज कुमार वरकड़े आदि शामिल हैं.

नाम परिवर्तन

MOHAMMAD RAJU S/O KAMR UDDIN आयु व्यस्क निवासीः 67 नियर फात्मा जोर मस्जिद नई कबाड़ खाना भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम RAJU और मेरे पिता का नाम MUNNE KHA दर्ज था जो की बदल कर मेरा नाम MOHAMMAD RAJU और मेरे पिता का नाम KAMRUDDIN हो गया है अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम और मेरे पिता का नाम यही है अब इसी नाम से जाना व पेहचाना जायगा आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वादविवाद होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं में रहूँगा।

पश्चिम मध्य रेल

विज्ञापन – जबलपुर मण्डल

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पमरे/का. जबल/ईजी/947/Re-Employment /भाग–II दिनांक 29.10.2025 के संदर्भ में लोको रनिंग विभाग में मुख्य लोको निरीक्षक, लेवल–7 के रिक्त पदों के विरूद्ध इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी/दिनांक 30.11.2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले अराजपतिक रेल कर्मचारियों से संविदा के आधार पर कार्य कराने जाने (पुनःनियोजन) का निर्णय लिया गया हैं। जिसके तहत आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। 65 वर्ष की आयु तक पुनः नियोजन का प्रावधान हैं। मुख्य लोको निरीक्षक, लेवल–7 के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को संविदा आधार पर 30.06.2026 तक के लिए ही पुनर्नियोजित किया जावेगा। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना एवं जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट (www.wcr.indianrailways.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

हस्ता.
कृते मं.रे.प्रबं.(का.), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

राष्ट्रीय एकता दिवस पर डीआरएम ने दिलाई शपथ

भोपाल, 1 नवंबर. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' बड़े उत्साह एवं एकता के भाव के साथ मनाया गया.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत डीआरएम कार्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ हुई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई. इसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक द्वारा 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ को मंडल कार्यालय के प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. जिसमें आरपीएफ, स्काउट-गाइड, खेलकूद संगठन तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक योगेन्द्र बघेल, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी विजय सिंह सहित मंडल के सभी शाखा अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

करंट से झुलसे बंदर को इलाज के लिए भेजा

▸ रातभर पेड़ पर बैठा बंदर दर्द से कराहता रहा

मंडीदीप. वार्ड 24 क्षेत्र में शुक्रवार को एक बंदर 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया.

दर्द से कराहता बंदर रातभर पेड़ पर बैठा रहा. सुबह स्थानीय नागरिक अंकित शर्मा ने घटना की जानकारी मीडिया को दी, जिसके बाद सूचना दाहोद रेंज के रेंजर कार्तिकेय शुक्ला तक पहुंची. रेंजर शुक्ला ने तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया. टीम ने पहुंचकर सूझबूझ और साहस के साथ बंदर के रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की. वनकर्मियों ने जाल फैलाकर बंदर को सुरक्षित उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह पेड़ से उतरकर भागने लगा. लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद बंदर फॉर्च्यूनर वेदांता कॉलोनी के क्लब हाउस तक जा पहुंचा वन विभाग की टीम ने बिना हार माने वहां भी जाल बिछाकर अंततः घायल बंदर को सुरक्षित पकड़ लिया. स्थानीय रहवासियों ने वन कर्मियों के इस मानवीय और संवेदनशील प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि विभाग के त्वरित एक्शन से ही बंदर को जीवनदान मिला है.

रेंजर शुक्ला ने बताया कि घायल बंदर का तुरंत उपचार करवाया जा रहा है, और पूर्ण स्वस्थ होने तक विभाग उसकी देखभाल करेगा. वन विभाग की यह मुस्तैदी और सेवा भावना वास्तव में सराहनीय है.

महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के अमर हस्ताक्षर

▸ सीएम ने अभा कालिदास समारोह का किया वर्चुअल शुभारंभ

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 नवंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कालिदास समारोह हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, साहित्य और परम्पराओं के विविध अलंकारों में से एक सबसे उज्ज्वल और प्रदीप्तमान पुंज है. यह आज भी भारतीय ज्ञान, कला और संवेदना की गहराइयों का उदात्त प्रकटीकरण है. उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के ऐसे अमर हस्ताक्षर हैं, जिनकी कृतियां संस्कृत साहित्य के लिए अमूल्य निधि होने के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना की संवाहक भी हैं. उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास ने अपनी कल्पनाशीलता, गहन संवेदनशीलता और अद्भुत लेखन कौशल से भारतीय कथा-कला और काव्य साहित्य को धन्य किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उज्जैन में आयोजित 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का वर्चुअल शुभारंभ कर संबोधित किया.

धान उपार्जन के लिये पंजीयन अब 6 तक

भोपाल. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बचे हुए किसानों का पंजीयन अब 6 नवंबर तक हो सकेगा. सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना जिलों में अब शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा.

हेरिटेज इमारत में खुले सुको की बेंच

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट की नवीन इमारत निर्माणाधीन है। इसके साथ ही पुरानी हेरीटेज इमारत खाली हो जाएगी। इसका सदुपयोग सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच के रूप में किया जा सकता है। यह मांग हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सचिव अधिवक्ता परितोष त्रिवेदी ने की है।

नाम परिवर्तन

SHAILA SIKANDER JEHAN W/O SAMEER AKHTAR आयु व्यस्क निवासीः N-17 A इन फ्रंट ऑफ भोपाल कोचिंग कुम्हार पूरा पीर गेट भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम SIKANDER JAHAN दर्ज था जो की बदल कर मेरा नाम SHAILA SIKANDER JEHAN हो गया है अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है अब इसी नाम से जाना व पेहचाना जायगा आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वादविवाद होता है तो इसकी जिम्मेदार स्वयं में रहूँगी।

संचालनालय खेल और युवा कल्याण
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल (म.प्र.)

ई-निविदा सूचना

संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा **"स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटरों के लिए फिजियोथैरेपी उपकरण प्रदाय/स्थापना कार्य हेतु"** निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्तें **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। ई-निविदा प्रकाशन उपरांत निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-टेण्डर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा।

म.प्र. माध्यम/122806/2025 **संचालक**

भारतीय स्टेट बैंक
होम लोन सेंटर भोपाल-1 (सार्क विंग)
एच. एल. सी.-1, द्वितीय तल, वाणिज्यिक शाखा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन नं. 0755-2575163,2575170, E-mail : sbi.04484@sbi.co.in

आधिपत्य नोटिस (स्थावर सम्पत्ति) [13(4)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋणी एवं जमानतदारों को मांग सूचना निम्नलिखित दिनांक के अनुसार जारी किया। इस नोटिस की पावती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने केलिये कहा गया था। ऋणी/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी/जमानतदारों को और आम जनता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम (8) के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित सम्पति को उनके सामने दर्शाये गये दिनांक को कब्जे में लिया है। ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत् किए गये कोई भी व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर भोपाल-1 (सार्क विंग), अरेरा हिल्स, भोपाल** को देय ब्याज एवं खर्चो के अध्यधीन प्रभार (Charge) होगा। इस बावत, ऋणी/जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem करने) के संबंध में अधिनियम की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

बकायादार का नाम	60 दिवस मांग सूचना दिनांक	नोटिस राशि रू.	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं भवन/प्लॉट की सीमाएँ/स्थिति
श्री शिरीष मनोहर फड़के पुत्र स्व. मनोहर डी फड़के **सीआईएफ पता:** 17, अनामिका नगर, जी-3/544, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल **संपत्ति का पता:** फ्लैट नं. एल.एफ.2, प्लाट नं. 218, प्रथम तल, कनक रिट्रीट, त्रिलोचन नगर, ग्राम बावड़ियाकलां, तहसील -हुजूर, जिला-भोपाल	21/07/2025 **कब्जा दिनांक** 27/10/2025	राशि रू. 11,02,569/- + देय ब्याज व अन्य खर्च	फ्लैट नं. एल.एफ.2, प्लाट नं. 218, प्रथम तल, कनक रिट्रीट, त्रिलोचन नगर, ग्राम बावड़ियाकलां, तहसील -हुजूर, जिला - भोपाल, क्षेत्रफल 69.70 वर्ग मीटर, **सीमाऐं:** पूर्व- 25 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- प्लाट नं. 217, उत्तर- 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- प्लाट नं. 241, **संपत्ति मालिक** : श्री शिरीष मनोहर फड़के पुत्र स्व.श्री मनोहर डी. फड़के

दिनांक : 01.11.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
वर्ष 2025-26 के लिए
एससी तथा अन्य लाभवंचित समूहों के छात्रों हेतु
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की घोषणा करता है।

घटक 1: एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
एससी वर्ग से संबंधित छात्र; माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र; लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा; सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और हॉस्टलर के लिए 7000/- रुपए का अकादमिक भत्ता; दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

घटक 2: अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत हैं; कोई आय सीमा पात्रता नहीं है	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र; लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा; सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और हॉस्टलर के लिए 8000/- रुपए का अकादमिक भत्ता; दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

- छात्र के पास वैध **मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी)**, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष **की मार्कशीट तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।**

- योजना के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।
https://socialjustice.gov.in/schemes/23

योजना के दिशा-निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन करें

cbc38101/11/0025/2526